



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 230-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022 (PAUSA 9, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

संख्या 8/4/2022-4क II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर पचास प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 जनवरी, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”

अरुण गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 30th December, 2022

No. 8/4/2022-4CII.- In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from the 1st January, 2023 namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of fifty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st January, 2023.”.

ARUN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.